

वैसे अभ्यर्थी जो किसी भी राजकीय / निजी मेडिकल / डेंटल कॉलेज में नामांकित नहीं हैं।

4. 2nd MOPUP कॉउन्सेलिंग के लिए UGMAC-2018 की विवरण पुस्तिका के अनुसार तथा विज्ञापन संख्या-BCECEB(UGMAC)-2018/13 दिनांक 06.09.2018 में उल्लिखित सभी मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
5. राजकीय / निजी डेन्टल संस्थानों का संस्थानवार विवरणी पर्षद के वेबसाईट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी सीटों की विवरणी देख कर उपस्थित हों।
6. निजी संस्थानों की fee structure पर्षद के website पर उपलब्ध है।
7. नामांकन हेतु प्रक्रिया दिनांक 12.09.2018 तक पूरी कर लेनी है, अतः अभ्यर्थी को नामांकन हेतु सारी तैयारियों के साथ आना अनिवार्य होगा। सीट भर जाने के पश्चात् कॉउन्सेलिंग प्रक्रिया समाप्त कर दी जायेगी।
8. अभ्यर्थियों द्वारा 2nd MOPUP कॉउन्सेलिंग के लिए भरे गये Choice list (Option slip) ही मान्य होगा। इसे कॉउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य है। Allotment, Candidate द्वारा भरे गये Choice list के प्राथमिकता के अनुसार ही की जायेगी।
9. पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या-BCECEB(UGMAC)-2018/12 दिनांक 06.09.2018 , 2018/13 दिनांक 06.09.2018 एवं 2018/16 दिनांक 08.09.2018 की अन्य सूचनाएँ साक्षात्कार की प्रक्रिया एवं शर्तें तथा उसके अनुसार वाँछित मूल प्रमाणपत्र / अभिलेख यथावत् रहेंगे।

परीक्षा नियंत्रक